हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्याः टी0पी0टी0—ए (3) 2/2002—लूज   दिनांक, शिमला—2   1 जनवरी, 2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) प्रारूप नियम, 2018 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख दिनांक 16—08—2018 द्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 23—08—2018 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त हुए आक्षेप (पों) सुझाव (वों) पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक, 59) की धारा 211 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5—24/88—टीपीटी—11, तारीख 12 जलाई, 1999, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः—

संक्षिप्त नाम—1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवत होंगें।

2. नियम 69—क का प्रतिस्थापन—(1) हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69—क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"69–क अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिए कम्पोजिट फीसः– पर्यटन यान, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गये अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत हैं, की बाबत कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्‌गृहित, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी" अर्थातः–

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	दरें
1.	चालक को अपवर्जित कर के बारह यात्रियों से अधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले यान।	साधारण बस ₹ 1500/–प्रतिदिन (13 से 32 सीटर) ₹ 2500/–प्रतिदिन (33 सीटर से अधिक) डीलक्स बस ₹ 2500/–प्रतिदिन (13 से 32 सीटर) ₹ 3500/–प्रतिदिन (33 सीटर से अधिक) आरामदायक वातानुकूलित बसें जैसे बोल्वो, मरसरिज आदि ₹ 5000/– प्रतिदिन;
2.	चालक को अपवर्जित करके छः यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियों से अनधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले यान	सात से आठ सीटर ₹ 300/–प्रतिदिन नौ से बारह सीटर ₹ 500/–प्रतिदिन; और
3.	चालक को अपवर्जित करके छः से अनधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता रखने वाले यान	चार से छः सीटर ₹ 200/–प्रतिदिनः

परन्तु कोई अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र धारक/प्रचालक यदि मासिक प्रचालन के लिए फीस संदत्त करने का इच्छुक है तो ऐसे मामलों में 15 दिन की कम्पोजिट फीस एक किश्त में प्रभारित की जाएगी। मास की गणना, कम्पोजिट फीस की प्राप्ति की तारीख से, 30 दिन के रूप में की जाएगी।

संचालन के दिनों पर निर्णय परमिट से जुड़े दौरे कार्यक्रम के आधार पर लिया जाएगा, किन्तु यदि यान को राज्य में कम्पोजिट फीस को जमा किए बिना चलाया जाता है, तो व्यतिक्रमी प्रत्येक श्रेणी को देय, नियत फीस की पांच गुणा शास्ति से दण्डनीय होगा"

आदेश द्वारा

(जे0सी0 शर्मा)
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English Text of this Department Notification No. PCH-HA(3) 4/2011-II dated 1st January, 2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Transport Department

No. TPT-A(3) 2/2002-Loose Dated Shimla-2, the 1st January, 2019

NOTIFICATION

WHEREAS the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rule, 2018 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 23.08.2018, vide this department notification of even number dated 16/08/2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 15 days from the date of publication; as required under the provision of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988).

AND, WHEREAS objection(s)/ suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 notified vide this Department notification No. 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999, namely:-

1. **Short title.-**These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2019.

2. They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

3. **Substitution of rule-69-A.**- For rule-69-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

   "69-A. Composite fee for All India Permits.- There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates, in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:-

Sr No	Category of Vehicle	Rates
1	Having Seating capacity to carry more than twelve passengers	**Ordinary Bus** ₹ 1500/- per day (13 to 32 seater)

	excluding driver.	₹ 2500/- per day (above 32 seater) **Delux Bus** ₹2500/- per day (13 to 32 seater) ₹3500/-per day (above 32 seater) **Luxury AC buses** like Volvo, Mercedes etc. ₹5000/- per day;
2	Having Seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver.	**Seven to eight seater** ₹ 300/- per day **Nine to twelve seater** ₹ 500/- per day ; and
3	Having seating capacity to carry not more than six passengers excluding the driver.	**Four to six seater** ₹ 200/- per day:

Provided that where the All India Permit holder/ operator is willing to pay fee for the monthly operation, in such case 15 days composite fee shall be charged in single installment. Month will be counted as 30 days from the date of receipt of Composite Fee.

Decision on days of operation will be taken on the basis of the tour programme associated with the permit, but if the vehicle plied in the State without depositing the Composite Fee, then the defaulter will be punishable with a penalty of five times the fixed fee, due of each category.

By order

(J.C. Sharma)
Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh